संख्या-77/2021/ 2152 ई-2/तेरह्-2021-1455303

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर,2021

विषय- मेसर्स अवध शुगर एनर्जी लि.,हरगांव आसवनी, जनपद- सीतापुर को केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-64/दो-प्रा.डी.-18 दिनांक 25 अक्टूबर,2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स अवध शुगर एनर्जी लि.,हरगांव आसवनी, जनपद सीतापुर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस / शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा केन जूस / शुगर सीरप से एथनॉल का निर्माण किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ - साथ केन जूस/शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आबकारी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा तथा आयुक्त,गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 10-09-2021 द्वारा जिन शर्तो/ प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है का अनुपालन इकाई द्वारा करते हुए शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा । उक्त के अतिरिक्त आसवक को निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.)का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) आसवक द्वारा केन जूस /शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ - साथ केन जूस/शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त आबकारी आयुक्त, उ.प्र.प्रयाग राज को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in